संख्या– 88 / 2013 / 17(120) / XXVII(8) / 09

प्रेषक,

विक्रम सिंह राणा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,कर,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

वित्त अनुभाग–8 देहरादून::दिनांक:22 जनवरी,2013

विषयः–मण्डप व्यवसायियों से संबंधित समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बंध में निर्धारित शर्ते एवं दिशा निर्देश प्रेषित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0–3909/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनु0/12–13/देहरादून,दिनांक 11.12.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके द्वारा मण्डप व्यवसायियों से संबंधित समाधान योजना का संशोधित प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराया गया है।

2– विषयगत संदर्भ में उत्तराखण्ड(उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू–राजस्व विधि अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002 की धारा–4 की उपधारा(2) के अन्तर्गत सुख–साधन कर दायी मैरिज हॉल/मण्डप एवं अन्य इकाइयों के पंजीकृत कारबारी/स्वामी, जो सामूहिक आयोजन/सभा आदि हेतु,अधिनियम में यथा परिभाषित "किराया" प्राप्त करते हैं,को सुविधा देने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2012–13(अवशेष अवधि) एवं 2013–14 हेतु,देय कर के बदले समाधान राशि के भुगतान हेतु,धारा–7(1) के अन्तर्गत समाधान योजना लागू किये जाने के संबधं में शासन द्वारा निर्धारित शर्ते एवं दिशा निर्देश की प्रति अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(विक्रम सिंह राणा)
अनु सचिव।

14715 29/01/13
सुख साधन कर अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें

उत्तराखण्ड(उत्तरप्रदेश कराधान तथा भू–राजस्व विधि अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सुख–साधन कर की दायी मैरिज हॉल/मण्डप एवं अन्य इकाइयों के पंजीकृत कारबारी /स्वामी, जो सामुहिक आयोजन/सभा आदि हेतु, अधिनियम में यथा परिभाषित "किराया" प्राप्त करते हैं, को सुविधा देने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2012–13(अवशेष अवधि) एवं 2013–14 हेतु, देय कर के बदले समाधान राशि के भुगतान हेतु, धारा 7 (1) के अन्तर्गत समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित शर्तें एवं दिशा निर्देश :–

1– यह योजना वैकल्पिक होगी और वित्तीय वर्ष वार होगी। जो कारबारी समाधान योजना एक बार अपना लेंगे उन्हें उस वित्तीय वर्ष हेतु अपना विकल्प वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।

2– योजना का विकल्प अपनाने वाले कारबारी द्वारा अपने करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष संलग्न प्रारूप–1 में अपना प्रार्थना पत्र, वित्तीय वर्ष 2012–13(अवशेष अवधि) हेतु, योजना जारी होने के एक माह के अन्दर, एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु दिनांक 15–04–2013 तक देना होगा। नये कारबार के संबंध में कारबार आरम्भ होने के एक माह के अन्दर, प्रार्थन पत्र दिया जा सकेगा। अलग–अलग वित्तीय वर्ष के लिये अलग–अलग विकल्प प्रार्थना पत्र देना होगा।

3– यदि किसी कारबारी की एक से अधिक इकाइयॉ हैं, परन्तु वह भिन्न–भिन्न करनिर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में स्थित हैं, तो ऐसी दशा में समाधान हेतु प्रार्थना पत्र, क्षेत्रवार अलग–अलग दाखिल करना होगा।

4– प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रारूप–2 में एक शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

5– प्रार्थना पत्र समय से उपलब्ध न कराने की स्थिति में, विलम्ब का समुचित कारण होने पर, क्षमा का अधिकार कमिश्नर वाणिज्य कर को होगा।

6– योजना अपनाने वाले कारबारी को बीजक में पृथक से कर वसूलने का अधिकार नहीं होगा।

7–योजना अपनाने वाले कारबारी के लिये अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के बदले एकमुश्त समाधान राशि(प्रत्येक इकाई के लिये अलग–अलग) निम्न प्रकार देय होगी–

क्रम सं0	इकाई का स्थान(Location)		निर्धारित एकमुश्त समाधान राशि
1.	नगर निगम/नगरपालिका की सीमा के अन्दर स्थित इकाई		रू0 2500/– प्रति आयोजन (Event) प्रतिदिन
2.	नगर निगम/नगरपालिका की सीमा के बाहर स्थित इकाई		रू0 1500/– प्रति आयोजन(Event) प्रतिदिन

स्पष्टीकरण :— यदि एक आयोजन (Event) एक से अधिक दिन तक चलता है तो सभी दिनों का अलग—अलग समाधान शुल्क देय होगा और यदि एक दिन में एक से अधिक आयोजन (Event) होते हैं तो प्रत्येक आयोजन (Event) के लिए अलग—अलग समाधान राशि देय होगी।

8— योजना के विकल्पधारी कारबारी को, अपनी प्रत्येक इकाई हेतु अलग—अलग, संलग्न प्ररूप—3 में "देय समाधान राशि का मासिक आंकलन", संबंधित माह के अगले माह की 7 तारीख तक, अपने करनिर्धारण अधिकारी को, देय समाधान राशि के जमा के प्रमाण सहित, दाखिल करना होगा। देय समाधान राशि निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात्, जमा करने पर जमा तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देय होगा।

9— योजना के विकल्पधारी कारबारी को उत्तराखण्ड होटलों में सुख—साधन कर (संशोधन) नियमावली, 2012 के नियम 16 के द्वारा निर्धारित रजिस्टर्स, एल0टी0आर0—1 व एल0टी0आर0—2, बुकिंग स्लिप एवं इनवाइस आदि के रूप में अपने लेखे रखने होंगे और करनिर्धारण अधिकारी अथवा कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी के मांगने पर जॉच हेतु प्रस्तुत करने होंगे।

10— ऐसे विकल्पधारी, जिन्होंने योजना की शर्तों का अनुपालन किया है और जिनके सम्बन्ध में कर अपवंचन संबंधी कोई प्रतिकूल सूचना अथवा तथ्य प्राप्त नहीं हुए हैं, को करनिर्धारण हेतु कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी।

11— मिथ्या तथ्य प्रस्तुत करना अथवा मिथ्या घोषणा करना पाये जाने पर विकल्पधारी कारबारी की संबंधित इकाई को योजना से बाहर करके उसके संबंध में नियमित करनिर्धारण एवं अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

12— कमिश्नर वाणिज्य कर को अधिकार होगा कि वह योजना हेतु प्रार्थना पत्र को अथवा देय समाधान राशि के मासिक आंकलन के विवरण को विभागीय वैबसाइट पर ऑन लाईन दाखिल करना अनिवार्य कर सकें और इस हेतु आवश्यक शर्तें एवं व्यवस्था निर्धारित कर सकें।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव, वित्त।

प्रारूप–1

(मैरिज हॉल, मण्डप, कम्यूनिटी हॉल,, कान्फ्रेन्स हॉल, लॉज, क्लब, टेन्टेज रिर्जोट, ओपन स्पेस हेतु देय कर के बदले समाधान राशि का विकल्प प्रार्थना पत्र)

सेवा में,

करनिर्धारक प्राधिकारी,
खण्ड............................
मण्डल/ उपमण्डल...

महोदय,

मैं..................................पुत्र श्री.................................,सर्वश्री............................जिसका मुख्यालय.............................पर स्थित है तथा जिसे उत्तराखण्ड कराधान तथा भू–राजस्व विधि(संशोधन) अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत कार्यालय..............................द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या.....................दिनांक................से प्रभावी किया गया है/ जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए करनिर्धारक प्राधिकारी खण्ड..............मण्डल/ उपमण्डल................के कार्यालय में दिनांक ....को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी/ साझीदार/ डायरेक्टर ....हूँ। मैंने उक्तानुसार वर्णित मैरिज हॉल, मण्डप, कम्यूनिटी हॉल,, कान्फ्रेन्स हॉल, लांज, क्लब, टेन्टेज रिर्जोट, ओपन स्पेस हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13(अवशेष अवधि) / 2013–14 में देय सुख–साधन कर के विकल्प में अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में एकमुश्त देय समाधान राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है, अथवा पूर्ण रूप से सुन लिया है और भलीभॉति समझ लिया है। इन निर्देशों की सभी शर्तें मुझे मान्य है और उन्हीं के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र, उक्त कारबार की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

वित्तीय वर्ष 2012–13(अवशेष अवधि)/ 2013–14 हेतु देय सुख–साधन कर के बदले उत्तराखण्ड कराधान तथा भू–राजस्व विधि(संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 7 की उपधारा (1) के उपबन्ध के अधीन, देय एकमुश्त समाधान राशि संलग्न शपथ पत्र/अनुबन्ध के अनुसार जमा करने का आवेदन करता हूँ। मैं, समाधान राशि मासिक रूप से शपथ पत्र/अनुबन्ध में की गयी शर्तों के अनुसार/योजना में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जमा करुंगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी कारण मेरा यह शपथ पत्र/अनुबन्ध वापस या निष्प्रभावी नहीं होगा। इकाइयों, के नाम पते निम्नानुसार दे रहा हूँ, जिनके लिये समाधान का विकल्प अपनाना चाहता हूँ :–

क्र0 सं0	नगर निगम/नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत स्थित इकाई का नाम व पता	क्र0 सं0	नगर निगम/नगरपालिका की सीमा के बाहर स्थित इकाई का नाम व पता
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	

हस्ताक्षर..........................

पूरा नाम..........................

प्रास्थिति..........................

प्रारूप–2
(शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र)

समक्ष करनिर्धारक प्राधिकारी,

खण्ड...

मण्डल / उपमण्डल..............

मैं ....पुत्र श्री...............................आयु लगभग.............................वर्ष, स्थायी निवासी.......................................(पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ: –

1. कि मैं फर्म सर्वश्री.............................., जिसका मुख्यालय..................(पूरा पता) पर स्थित है और जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र सं0........................, प्रभावी दिनांक.................. है, का स्वामी / साझीदार / डायरेक्टर / (अन्य प्रास्थिति) ....हूँ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2. कि वित्तीय वर्ष 2012–13 (अवशेष अवधि) / 2013–14 में मेरी फर्म के अन्तर्गत, राज्य के अन्दर स्थित समस्त मैरिज हॉल / मण्डप / कम्यूनिटी हॉल / कान्फ्रेन्स हॉल / लॉज / क्लब / टेन्टेज रिर्जोट / ओपन स्पेस हेतु विवरण निम्नप्रकार है:–

क्र0सं0	नगर निगम / नगरपालिका की सीमा के अन्दर स्थित इकाइयों का नाम व पता	नगर निगम / नगरपालिका की सीमा के बाहर स्थित इकाइयों का नाम व पता
1.		
2.		
3.		

3– कि मैंने, उक्त इकाइयों में से, आपके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली निम्न इकाइयों हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 (अवशेष अवधि) / 2013–14 में, देय कर के बदले, एकमुश्त राशि का विकल्प चुना है :–

क्र0सं0	नगर निगम / नगरपालिका की सीमा के अन्दर स्थित इकाइयों का नाम व पता	नगर निगम / नगरपालिका की सीमा के बाहर स्थित इकाइयों का नाम व पता
1.		
2.		
3.		

4– कि उक्त इकाइयों पर देय सुख–साधन कर के स्थान पर उत्तराखण्ड कराधान तथा भू–राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 धारा 7 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त राशि स्वीकार करने से संबंधित शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं दिशा निर्देशों की पूरी–पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो

चुकी है, तथा सभी निर्देश, शर्ते, आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य हैं और सदा रहेंगे।

5– कि यदि मेरे द्वारा आवेदित इकाइयों के संबंध में उत्तराखण्ड कराधान तथा भू–राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार होता है तब समाधान राशि मेरी फर्म द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कर दी जायेगी।

6– कि यदि वित्तीय वर्ष 2012–2013(अवशेष अवधि) /2013–14 के लिये मेरा धारा 7 की उपधारा (1) में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मैं/मेरी फर्म इस शपथ पत्र/अनुबन्ध के अनुलग्नक–1(योजना के संबंध में शासन के दिशा निर्देश) में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निर्वहन के लिए बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिये गये निर्देशों, लगाए गए प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तो के अनुपालन न किए जाने की दशा में उत्तराखण्ड शासन तथा वाणिज्य कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाहियॉ मेरी फर्म के विरूद्ध कर सकेगा।

7– कि मैं यह भी घोषणा करता हूॅ कि पृथक से कर वसूल नहीं किया जायेगा।

संलग्नक– अनुलग्नक–1(योजना के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित शर्तें एवं दिशा निर्देश)

हस्ताक्षर.....................

पूरा पता.....................

प्रास्थिति.....................

घोषणा

मैं .... घोषणा करता हूॅ कि शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र के प्रस्तर–1 से 7 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूॅ कि इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तो और निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेगें।

हस्ताक्षर..........................

नाम..................................

प्रास्थिति.........................

साक्षी के हस्ताक्षर..................................

नाम एवं पता...

तिथि एवं स्थान.....................................

प्ररूप –3

(देय समाधान राशि का मासिक आंकलन)

मैरिज हॉल/ मण्डप/ कम्यूनिटी हॉल/ कान्फ्रेन्स हॉल/ लॉज/ क्लब/ टेन्टेज रिजोर्ट/ ओपन स्पेस के संबंध में

1– माह...............वर्ष................

2– कारबार की पंजीयन संख्या...............................प्रभावी दिनांक ....

3– कारबार के मुख्यालय का नाम व पता....................................

4– यूनिट का नाम व पता(जिसके लिये आंकलन दिया जा रहा है)..........................

5– यूनिट का स्थान

(1) नगर निगम/नगर पालिका की सीमा के अन्दर है............................ अथवा,

(2) नगर निगम/नगर पालिका की सीमा के बाहर है.............................

6– आंकलन....................

क्र0 सं0	दिनांक	आयोजनों(Events) की संख्या	समाधान राशि की दर	समाधान राशि (रू0)
i.				
ii.				

7– समाधान राशि का योग शब्दों में ....

8– समाधान राशि जमा का विवरण :

क्र0 सं0	लेखाशीर्ष	चालान आई0डी0 (CIN) नम्बर एवं तारीख	बैंक का नाम व पता	बैंक का MICR कोड	जमा कर (रू0)
i	0023008000100				
ii	0023008000100				
iii	0023008000100				
iv	0023008000100				
				योग(अंकों में)	
योग (शब्दों में)					

9– कारबारी के हस्ताक्षर..................

10– हस्ताक्षरकर्ता का नाम...................

11– हस्ताक्षरकर्ता की प्रास्थिति............